न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी : पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावां संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
243 / 2019	02.08.2019	16.11.2022

/ / उनवान / /

1 रामवीर पुत्र मोहरसिंह जाति अहीर निवासी मनेठी तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:— वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर।

:— प्रतिवादी

दावा— इश्तकरारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा— 88, 89 राज0 काश्त0 अधि0

उपस्थितिः— 1 श्री नरेन्द्र चौधरी — वकील वादी

निर्णय दिनांक— 16.11.2022

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि हाल ख0नं0 21/0.08, 85/0.77, 100/0.06, 265/0.57, 312/0.09, 373/0.27, 379/0.25, 500/0.81, 522/0.06, है0 वाके ग्राम मनेठी तह0 मुण्डावर जिला अलवर में स्थित होकर मिनवादी के 1/6 भाग कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी रही है जो वादी की पैतृक आराजी रही है तथा पिता मोहरसिंह से जरिये विरासत प्राप्त हुई है जिसका विरासत इन्तकाल दर्ज करते समय खिलाफ मौका खिलाफ कानून व मिनवादी को बिना सुनवाई का अवसर दिये मिनवादी का नाम राजवीर पुत्र मोहरसिंह दर्ज कर दिया जो गलत है जबकि मिनवादी का सही नाम रामवीर पुत्र मोहरसिंह है तथा इसी नाम से वादी के अन्य दस्तावेज यथा परिवार राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, विधुत कनेक्शन के नाम से जारी है अंकित करते हुये विवादित आराजीयात के बाबत हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकित राजवीर पुत्र मोहरसिंह नाम को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर रामवीर पुत्र मोहरसिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर इसी अनुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की वाद विधिवत तलबी जवाब पैरोकार सरकार पेश हुआ। मुताबिक जवाब पैरोकार सरकार बिन्दू सं0 01 ल0 06 वादी स्वयं सिद्ध करे अंकित करते हुये शेष जिम्मन 07 ल0 11 क्षेत्राधिकार से संबंधित होने आदि के बाबत का अंकन पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है।

वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में विवादित आराजीयात के बा[illegible] जमाबंदीयात के साथ—साथ परिवार राशन कार्ड एवं बैंक पास बुक, वि[illegible] प्रतियों के साथ—साथ ग्राम पंचायत जालावास द्वारा दिनांक 29.12.20[illegible] जो शामिल मोहरसिंह दोनों नाम से एक ही व्यक्ति है के बाबत का प्रमाण पत्र [illegible] जो शामिल पत्रावली है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:34:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

वकील वादी की वादपत्र के बाबत बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये अभिकथन किया कि विवादित आराजीयात वादी को पिता मोहरसिंह से जरिये विरासत प्राप्त हुई है एवं पैतृक आराजी है तथा वादी का सही नाम रामवीर पुत्र मोहरसिंह है जिसके बाबत वादपत्र की ताईद में नकल जमाबंदीयात के साथ–साथ परिवार राशन कार्ड, बैंक पास बुक, विघुत बिल, पैन कार्ड की छाया प्रतियों के साथ–साथ ग्राम पंचायत जालावास द्वारा दिनांक 29.12.2018 में जारी रामवीर एवं राजवीर पुत्र मोहरसिंह दोनों नाम से एक ही व्यक्ति है के बाबत का प्रमाण पत्र भी पेश कर दिये गये है। निवेदन करते हुये विवादित आराजीयात के बाबत वरवक्त विरासत इन्तकाल राजवीर पुत्र मोहरसिंह के नाम से दर्ज होकर स्वीकार होने एवं उक्त राजवीर नाम उपरोक्तानुसार गलत होने के कारण एवं ताहाल तक हाल राजस्व रिकॉर्ड में उक्तानुसार ही हो रहे अंकन के बाबत के वाद को डिक्री किया जाकर विवादित अराजीयात में अंकित राजवीर पुत्र मोहरसिंह नाम को हजफ कर उसके स्थान पर रामवीर पुत्र मोहरसिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाकर राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त फरमाये जाने का अभिकथन रहा।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरांत पकरण नाम दुरूस्ती के बाबत का होने की स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के हाल ख0नं0 21/0.08, 85/0.77, 100/0.06, 265/0.57, 312/0.09, 373/0.27, 379/0.25, 500/0.81, 522/0.06, है0 वाके ग्राम मनेठी तह0 मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादी के वाद को डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम राजवीर पुत्र मोहरसिंह के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा इसके स्थान पर रामवीर पुत्र मोहरसिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **16.11.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

16-11-2022

(पंकज बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:34:34 IST
Reason: SelfAttested